<u>वित्तीय स्वीकृति</u>

<u>संख्या: 76/2016/3154 प्रो0/51-2016-14(75)/2012</u>

प्रेषक,

जितेन्द्र राम त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
मुख्य मंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ ।

<u>मुख्य मंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग)</u> लखनऊ : दिनांक 07 नवम्बर, 2016

विषय:- अति विशिष्ट अतिथि गृह, में पधारने वाले राज्य अतिथिगणों के सेवा-सत्कार/भोजन आदि पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या एम-5241/32-3-2016-12/2011, दिनांक 16 सितम्बर, 2016 के साथ संलग्न व्यवस्थाधिकारी, अति विशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ के पत्र संख्या- 114/अ0वि0अ0गृ0।/2016, दिनांक 21 जुलाई , 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अति विशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गॉधी मार्ग लखनऊ में पधारने वाले राज्य अतिथिगण के भोजनादि से संबंधित संलग्न विवरण के अनुसार 72 देयकों के व्यय को वहन करने हेतु कुल धनराशि **रू0 1,48,199 /-(रूपये एक लाख अड़तालिस हजार एक सौ निन्यानब मात्र)** आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना संबंधित कोषागार की डी0डी0ओ0 रिकान्सिलेशन स्टेटमेन्ट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये । उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है । उक्त् से संबंधित 72 देयक मूलरुप में वापस किये जा रहे है ।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-2017 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक- 2053- जिला प्रशासन -आयोजनेत्तर -093-जिला स्थापनायें -03- कलेक्ट्रेट स्थापनायें- 22- आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा

<u>संलग्नक : (72 देयक मूल रूप मे)</u>

भवदीय,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव । -2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या: 76/2016/3154 (1)प्रो/51-2016-14(75)/2012, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद ।
2- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5,
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3 ।
5- व्यवस्थाधिकारी, अति विशिष्ट अतिथि गृह, महात्मा गॉधी मार्ग, लखनऊ
6- कार्यालय आदेश पुस्तिका ।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र राम त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।